भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2596
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'दिशा' समिति की बैठकें

2596. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ('दिशा') की बैठकों की अधिदेशित संख्या सहित ऐसी बैठक आयोजित करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय को देश के विभिन्न जिलों से 'दिशा' समिति की बैठकों के आयोजन संबंधी नियमित रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पुरुलिया जिले सहित पश्चिम बंगाल राज्य में 'दिशा' की बैठकें या तो आयोजित ही नहीं की जा रही हैं या बहुत अनियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि स्पष्ट दिशानिर्देशों के बाद भी , पश्चिम बंगाल में एक भी जिला 'दिशा' की बैठक आयोजित नहीं करता है; और

(ङ) उन मामलों में मंत्रालय द्वारा ऐसे डीएम/डीसी , जो 'दिशा' समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर बैठक आयोजित करने में विफल रहते हैं, पर क्या कार्रवाई की जाती है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट <disha.gov.in/guidelines> पर अपलोड किए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ दिशा समिति के उद्देश्यों , संरचना, कार्यक्षेत्र और बैठकों की अनिवार्य संख्या का उल्लेख करते हैं। दिशा दिशानिर्देश के प्रावधान पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू

हैं। दिशा दिशानिर्देश के अनुसार, माननीय संसद सदस्यों/विधायकों और दिशा समिति के अन्य सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना देने के बाद जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठकें हर तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए। एक वर्ष के दौरान कम से कम 4 बैठकें आयोजित की जानी हैं। हालांकि, यदि अध्यक्ष चाहें तो बुलाई जाने वाली बैठकों की संख्या चार से अधिक हो सकती है। इसी तरह, माननीय संसद सदस्यों/विधायकों और अन्य सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना देने के बाद राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठकें हर छह महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए।

(ख) दिशा समितियों के संचालन में सहायता के लिए, राज्य एवं जिला स्तरीय दिशा बैठकों हेतु एक 'मीटिंग रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://erp.disha.gov.in) विकसित किया गया है। संबंधित जिला प्रशासन द्वारा दिशा बैठकों के कार्यवृत्त और कार्य-रिपोर्ट 'मीटिंग रिपोर्टिंग पोर्टल' पर अपलोड किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2019-20 के बाद से पुरुलिया जिले सहित पश्चिम बंगाल राज्य के किसी भी जिले में कोई दिशा बैठक नहीं बुलाई गई है।

प्रभावी सुशासन सुनिश्चित करने और जिलों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशा बैठक का समय पर आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिशा के गंभीर महत्व को समझते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है कि ये बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएँ। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित सदस्य सचिवों (जिला कलेक्टरों, मजिस्ट्रेटों, उपायुक्तों) को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया है ताकि जिला स्तरीय दिशा बैठकें दिशा दिशानिर्देश के अनुसार आयोजित की जाएँ। माननीय संसद सदस्यों से भी समय-समय पर अपने-अपने जिलों में नियमित रूप से दिशा बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।